(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4090/पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 403/2013-14/अपील.

---

1. श्रीमती रंजना प्रधान पत्नी स्व. श्री अमर प्रधान
2. श्रीमती नम्रता भावसार पत्नी श्री सचिन भावसार पुत्री
   स्व. अमर प्रधान
   दोनों निवासीगण प्लाट नं. 3/101, कालिन्दी मिड
   टाउन वायपास, इंदौर
3. श्रीमती सांत्वना प्रधान भटनागर पत्नी श्री पंकज भटनागर
   पुत्री स्व. श्री अमर प्रधान
   निवासी द्वारा श्री एम.सी. भटनागर, 255/36, मालबाड़ा,
   बसंत रोड, गाजियाबाद, उ.प्र.
4. श्रीमती सोनल प्रधान ब्रिजवानी पत्नी प्रवीण ब्रिजवानी
   पुत्री स्व. श्री अमर प्रधान
   निवासी 41, स्पेक्ट्रम टावर इलफोर्ड, आइजी 14,
   जीजेड, लंदन यू.के. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. राजेन्द्रसिंह तोमर पुत्र श्री शिवचरन सिंह तोमर
   निवासी ई 80, बलवंत नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर
2. महेशचंद जैन पुत्र श्री हरीशचंद जैन
   निवासी डी-19, हरीशंकरपुरम, लश्कर ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एन.डी. शर्मा,, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक राजेन्द्रसिंह तोमर के द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर पुरानी छावनी की भूमि सर्वे क्र. किता 12 रकबा 2.542 हैक्टेयर के बटवारे की मांग की गई। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 1/13-14/अ-27 दर्ज कर दिनांक 26.02.2014 को बंटवारा आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर सिटी, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे विधिवत सूचना दिये बिना बटवारा आदेश पारित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.2014 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.09.2015 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) यह तथ्य निर्विवादित है कि नायब तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न तामील कुनिंदा की रिपोर्ट दिनांक 24.12.2013 में उल्लेखित है कि पक्षकार संबंधित लिखे पते पर निवास नहीं करते इस कारण तामील नहीं हो सकी। अदम तामील रिपोर्ट पेश हस्ताक्षर दिनांक 23.01.2014। इस रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार के प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 24.01.2014 में नायब तहसीलदार द्वारा उल्लिखित किया गया है कि आवेदकगण दिये गये पते पर निवासरत नहीं हैं। दिये गये पते पर चस्पीदगी द्वारा नोटिस जारी हो। आवेदकगण का कहना है कि जब न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ चुका था कि पक्षकार दिये गये पते पर निवासरत नहीं हैं वहां तामी उसी पते पर चस्पे द्वारा कराई जाना, तामील कराये जाने की परिधि में नहीं आता व ऐसी चस्पीदगी की तामील जो न्यायालय

की जानकारी में है कि दिये गये पते पर निवास नहीं करते, विधि की मंशा के विपरीत है। निम्न न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर विचार न करते हुए आवेदकगण को प्रकरण में विधिवत तामील मानकर आदेश पारित न करने में वैधानिक भूल की है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय का यह कहना है कि आवेदकगण द्वारा बालिग होने की दशा में अभिलेख में विधिवत संशोधन नहीं कराया गया। इस कारण बालिग हो जाने की स्थिति मान्य न कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित करने में वैधानिक भूल की है। यिद खसरे में बालिगी का संशोधन नहीं कराया गया तो वह नाबालिग बने रहेंगे, ऐसा नहीं माना जा सकता। प्राकृतिक नियम है कि समय गुजरने के साथ व्यक्ति बालिग होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण को नाबालिग मानकर आदेश पारित करने में भूल की है। अन्यथा भी यदि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदकगण नाबालिग थे तो नाबालिग की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस विधिसम्मत प्रश्न पर विचार किये बिना आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तामील नियम 14 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू कर निर्णय पारित करने में भूल की है। प्रकरण में तामील नियम 16 के प्रावधान लागू होते हैं, जिसमें उल्लेखित है कि यदि व्यक्ति जिसको सूचना की तामील की जाना है, किसी अन्य जिले में निवास करता हो, सूचना तामील के लिये उस जिले के कलेक्टर को डाक द्वारा तामील भेजी जाकर तामील कराई जाना चाहिए, जिसका कि पालन नहीं किया गया है।

(4) अपर आयुक्त का यह कहना है कि आवेदकगण द्वारा अन्य कोई आधार प्रकट नहीं किया है, गलत है एवं रिकॉर्ड के विपरीत है। अपर आयुक्त का यह कहना कि आवेदकगण द्वारा भूमि की किस्म या रकबा के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, गलत व रिकॉर्ड के विपरीत है। अपर आयुक्त का यह भी कहना कि आवेदकगण को अभिलेख में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारे में भूमि प्रदान की गई है, गलत व विधि विरूद्ध है।

(5) अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन व उसके अंतर्गत बने नियमों के नियम 1 के मेन्डेटरी प्रावधानों का पालन किये बिना आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो प्रवर्तनीय न होने पर भी विभाजन का आदेश पारित कर वैधानिक भूल की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर नायब तहसीलदार से लेकर द्वितीय अपील तक पारित सभी आदेशों को निरस्त किया जाकर आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर

प्रदान कर पुन: आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने व गुणदोषों पर आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि शासकीय अभिलेख खसरे में आवेदिका अवयस्क अंकित थी, वास्तव में वह वयस्य हो गये थे, उन्हें शासकीय अभिलेख में वयस्क अंकित कराने हेतु कार्यवाही करना चाहिए थी, यह दायित्व आवेदकगण का था। यदि आवेदिका बालिग हो चुकी थी, तो उनका दायित्व था कि वह शासकीय अभिलेख दुरूस्त कराये। तर्क में यह भी कहा गया कि न्यायालयीन कार्यवाही करते समय खसरा एवं खाते की नकल प्रस्तुत की जाती है। नकल खसरे एवं खाते में आवेदिका अवयस्क अंकित थी, इस कारण शासकीय अभिलेख सही मानकर न्यायालयीन कार्यवाही की गई, संहिता की धारा 117 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी भी अभिलेख को दर्ज गलत सिद्ध करनेके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है, किंतु उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज पते पर विधिवत तामील जारी की गई है। पते में परिवर्तन के संबंध में अपील को तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर संशोधन कराया जाना था, जो उसके द्वारा नहीं कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में जो बंटवारा की कार्यवाही हुई, उसमें आवेदक क्र. 2, 3 तथा 4 को नाबालिग दर्शाते हुए कार्यवाही की गई, जबकि आवेदक ने इसका प्रमाण पेश किया है कि वर्ष 2010 में इन्हीं आवेदकगण ने बालिग की हैसियत से अनावेदक के ही पक्ष में विक्रय पत्र दिया था। अर्थात् आवेदक को उनके बालिग होने की जानकारी थी फिर भी आवेदन में नाबालिग दर्शाया गया, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हुए। इस बात की भी पुष्टि अभिलेख से होती है कि जब आवेदक पक्ष को नोटिस भेजा गया, तो वह इस टीप के साथ प्राप्त हुआ कि आवेदिका इंदौर में रहती है फिर भी उनके इंदौर पते पर कोई नोटिस न भेजते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

आवेदक के इस तर्क में भी बल है कि फर्द-बंटान में बंटवारा नियमों का पालन भी नहीं हुआ तथा आवेदकगण को सड़क से दूर हिस्सा दिया गया है तथा सभी नम्बरों का बंटवारा भी नहीं

किया गया। जहां तक अनावेदक के विक्रय पत्र का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि विक्रेता संयुक्त खाते में से केवल अपना हिस्सा बेच सकता है, लेकिन हिस्सा विशेष बिना बंटवारे की कार्यवाही के विक्रय नहीं किया जा सकता। उक्त विधिक स्थिति पर तीनों न्यायालयों ने विचार नहीं किया है। अत: तीनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2015, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2014 एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2014 निरस्त किये जाने हैं। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर